

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 342 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री बेजा मुण्डा

- विक्रेता

श्रीमती गायत्री धान

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

30.05.20

आदेश


आवेदक श्री बेजा मुण्डा पिता स्व० बुला मुण्डा ग्राम-बिनगाँव, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने श्रीमती गायत्री धान पति श्री चन्दर धान ग्राम-कुरसे, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बिनगाँव	132	53	224	0.13

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा इस वाद को रोकने हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जितनी जमीन का प्रस्ताव था उससे कीं ज्यादा रकबा को आवेदन में दर्शाये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।